

	परिषद द्वारा जैसा कि उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त सही माने अदा किया जाएगा ।	
	47. (1) यदि उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त की राय में ग्राम परिषद की ओर से ग्राम परिषद के किसी आदेश अथवा संकल्प के निष्पादन अथवा कोई भी कार्य जो किया जाना है अथवा किया जा रहा है, से आम जनता को क्षति अथवा परेशानी हो रही है अथवा होने वाली है अथवा शांति का उल्लंघन अथवा गैर कानूनी है, वो लिखित आदेश द्वारा निष्पादन को रोक सकते हैं अथवा ऐसा करने पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं । (2) जब सहायक आयुक्त उप धारा (1) के अन्तर्गत आदेश बनाते हैं वे तत्काल इससे प्रभावित ग्राम परिषद को आदेश की प्रति इस आदेश के बनाने के कारणों के विवरण के साथ भेजेंगे । (3) सहायक आयुक्त द्वारा जिस परिस्थिति में इस धारा के अन्तर्गत इस आदेश को बनाया गया था, इसके सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तत्काल उपायुक्त को प्रस्तुत करेंगे और उपायुक्त ग्राम परिषद को नोटिस देने और जैसा वे उचित समझे वैसे जाँच करने के बाद आदेश को रद्द करेंगे, परिवर्तन करेंगे अथवा इसकी पुष्टि करेंगे ।	ग्राम परिषद के संकल्प के आदेश को निलम्बित करना ।
	48. (1) ग्राम परिषद का प्रत्येक सदस्य ग्राम साधारण निकाय के पैसे अथवा अन्य सम्पत्ति की हानि, दुरुपयोग करने अथवा गलत इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार होंगे जिसका वह एक सदस्य है अथवा जो उसके गलत आचरण के कारण अथवा सदस्य के रूप में अपनी कर्तव्य को जानबूझ कर अनदेखा करने के कारण हुई है, इसे धोखा धड़ी माना जाएगा । (2) यदि सम्बन्धित सदस्य को प्रतिकूल कारण दर्शाने के लिए उचित अवसर देने के बाद, सहायक आयुक्त संतुष्ट हो जाता है कि ग्राम आम निकाय का पैसा अथवा अन्य सम्पत्ति की क्षति, बर्बादी अथवा गलत इस्तेमाल होता है तो यह उसकी ओर से प्रत्यक्ष रूप से गलत आचरण अथवा जानबूझ कर की गई लापरवाही है । वह ऐसे सदस्य को लिखित आदेश द्वारा निर्धारित तारीख से पहले ग्राम परिषद के सम्मुख ऐसी क्षति, दुरुपयोग करने अथवा गलत इस्तेमाल किए गए राशि को चुकाने का निदेश देगा । बशर्ते कि असली अथवा तकनीकी अनियमितता अथवा सदस्य की गलती के लिए इस प्रकार का कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा । (3) यदि इस प्रकार राशि अदा नहीं की गई, सहायक आयुक्त निर्धारित अनुसार इसे वसूल करेंगे ।	क्षति, दुरुपयोग करने अथवा गलत इस्तेमाल के लिए सदस्यों का दायित्व